Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA

[Jamabandi Cancellation Revision No.-224/2023]

Tez Narayan Basak..Appellants.

Versus

The State of Bihar & Anr..Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4

02.4.2026

आदेश

यह जमाबंदी रद्दीकरण वाद न्यायालय समाहर्त्ता, किशनगंज द्वारा जमाबंदी रद्दीकरण अपील वाद संख्या-24/2020 में दिनांक-05.9.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षी सं.-2 की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है।

प्रश्नगत भूमि का विवरणी निम्नानुसार है :-

अंचल	मौजा/थाना नं0	खाता/खेसरा	रकवा	जमाबंदी सं.
बहादुरगंज	बहादुरगंज/359	80/ 284/566	03 डी.	80

दिनांक 17.3.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। Petitioner का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी सं.-2 का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। विपक्षी की ओर से Written Note of Argument दाखिल है।

Petitioner का कहना है कि विपक्षी सं.-2 के पति गोपाल बसाक के द्वारा प्रश्नगत जमीन का जमाबंदी गलत तरीके से करा लिया गया। उनका कहना है कि प्रश्नगत जमीन के खतियानी रैयत अचम लाल बसाक द्वारा विपक्षी के पक्ष में किसी भी प्रकार का वसीयतनामा नहीं प्रदान किया गया था तथा यह कि प्रश्नगत जमीन पर बिना किसी नामांतरण वाद दाखिल के ही अंचल कार्यालय के स्तर से विपक्षी के पति गोपाल बसाक के नाम से जमाबंदी सं.-80 कायम किया गया। जो विधिविरूद्ध है। Petitioner की ओर से तदनुसार निम्न न्यायालय के पारित आदेशों को निरस्त करते हुए प्रश्नगत जमीन पर विपक्षी के पति के नाम से कायम जमाबंदी सं.-80 को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

जबकि विपक्षी का कहना है कि प्रश्नगत जमीन के खतियानी रैयत अचम लाल बसाक द्वारा वर्ष-1972 में उनके पति के नाम से वसीयतनामा प्रदान किया गया था। जिसके उपरान्त लगभग 50 वर्षो से अधिक समय से प्रश्नगत जमीन पर उनका दखल-कब्जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि वर्ष-1972 के वसीयत के आधार पर उनके द्वारा लगान निर्धारण के लिये आवेदन दिया गया, जिसके आधार पर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज के न्यायालय में लगान निर्धारण अभिलेख सं.-11/1977-78 संधारित हुआ। तथा यह कि लगान निर्धारण वाद सं.-11/1977-78 के आधार पर ही जमाबंदी सं.- 80 कायम किया गया है। उनका यह भी कहना है कि उक्त लगान निर्धारण वाद के उपरान्त किसी भी न्यायालय में उक्त वाद को चुनौती नहीं दी गई। विपक्षी की ओर से निम्न न्यायालय के आदेश को संपुष्ट करते हुए इस पुनरीक्षण वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि प्रश्नगत जमीन के खतियानी रैयत अचम लाल बसाक थे। तथा यह कि प्रश्नगत जमीन का जमाबंदी विपक्षी के पति गोपाल लाल बसाक के नाम से दर्ज है। कागजातों के अवलोकन से यह परिलक्षित हो रहा है कि अंचल कार्यालय के स्तर से विपक्षी के पति द्वारा उपरोक्त Claimed वसियतनामा का सक्षम न्यायालय (Civil Court) में Probate किये बिना ही प्रश्नगत जमीन पर लगान निर्धारण/जमाबंदी सृजन की कार्रवाई की गयी है, जो संगत कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन है। सुनवाई में विपक्षी द्वारा उपरोक्त कानूनी बिन्दुओं को Negate करने के संबंध में कोई जवाब अथवा साक्ष्य उपस्थापित नहीं किया जा सका है। अतः तदनुसार संगत कानूनी प्रावधानों के आधार पर प्रश्नगत जमीन पर विपक्षी के पति के नाम से सृजित जमाबंदी को वैध न मानने का पर्याप्त आधार है।

आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया

02.4.2026

निम्न न्यायालय के स्तर से उपरोक्त कानूनी बिन्दुओं को Overlook करते हुए आदेश पारित किया गया है। जो विधिसम्मत नहीं है। अतः तदनुसार निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए विपक्षी के जमाबंदी संख्या-80 को रद्द करने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त आदेश के साथ इस पुनरीक्षण वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें।

02/4/2026
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया

लेखापित एवं शुद्धित।

02/4/2026
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।